services, community programmes and shelter upgradation. This was posed to ODA (UK). However, in 1992, ODA expressed its inability to support this programme.

Besides, as per the information available, HUDCO and HDFC, under KFW (German Credit Window) line of credit, have made available a total loan of Rs. 20.93 crores for constructing 52535 dwelling units in rural and urban areas of U.P.

मध्य प्रदेश सरकार को जल प्रदाय योजनायें

2993. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बीस हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों की कितनी जल प्रदाय योजनाएं, किस-किस शहर के लिए कब भेजी हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 से कम आबादी वाले 30 कस्बों के लिए विस्तृत जलापूर्ति योजनाएं प्रस्तुत की हैं। कस्बों के नाम तथा उनकी योजनाएं प्रस्तुत करने की तारीखें विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)।

(ख) जी, हां। सभी 30 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

के द्वारा प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्य (ए० यू० डब्यू० एस० पी०) अनुपोषित योजनाओं का कस्बा-वार विवरण

राज्य : मध्य प्रदेश

क्रम. सं.	कस्बे का नाम	जिला	प्राप्ति की तारीख
1		3	
1.	अहीरवाड़ा	दुर्ग	16-12-94
2.	गड़ियाबन्द	रायपुर	19-10-94
3.	भटगांव	रायपुर	07-12-94
4.	सिलमाऊ	मंदसौर	30-09-94
5.	सोहागपुर	होशंगाबाद	20-02-95
6.	सुलतानपुर	रायसी	05-01-95
7.	गैडाई पंडान्या	राजनंदगांव	13-12-94
8.	गौतमपुरा	इन्दौर	21-12-94
9.	उदयपुर	रायसीन	14-02-95
10.	बबई	होशंगाबाद	20-02-95
11.	खिरकिया	होशंगाबाद	20-02-95
12.	तिमारानी	होशंगाबाद	20-02-95
13.	पिथौरा	रायपुर	19-10-94

1	2	3	4
14.	वोग बेहरा	रायपुर	07–12–94
15.	करनावाड़	देवास	18–10–94
16.	कंता फोड़	देवास	18–10–94
17.	खनियाधना	शिवपुरी	31–12–94
18.	सहवार	इन्दौर	20–12–94
19.	बदनावोर	धार	10–01–95
20.	धर्मपुर	धार	10–01–95
21.	भाभरा	झाबुआ	14–11–94
22.	धमोंट	धार	10–01–95
23.	बमनिया	झाबुआ	20–12–94
24.	पूसमेल	खारगोस	30–12–94
25.	डोंगरगांव	राजनंदगाव	17–12–94
26.	बामोरेकला	मुरैना	31–12–94
27.	होतपिपलिया	देवास	23–12–94
28.	बड़ौदा	मुरैना	31–12–94
29.	विजयपुर	मुरैना	31–12–94
30.	राघोगढ़	गना	09–03–95

दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि/फ्लैटों का आबंटन

2994. **ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि/फ्लैटों को आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या उस उद्देश्य की समीक्षा कर ली गई है, जिसके लिए इन संस्थाओं को भूमि/फ्लैट्स आबंटित किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और साथ ही शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है --

1. संस्था प्रत्यक्ष रूप से आबादी के हित में काम करती हो ;

2. यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी हो अथवा उसका स्वामित्व और संचालन सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास हो अथवा उसका गठन या स्थापना उस समय लागू किसी कानून के तहत की गई हो ;

3. यह गैर मुनाफा कमाने वाली संस्था हो और उसके पास अपने उपयोग के लिये भूमि और भवन निर्माण की